| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/684/2006/जोधपुर**<br>**जतनकंवर बनाम हवाकंवर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**
**श्री गौरव बजाड़, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री विरेन्द्रसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी।

**निर्णय**

**दिनांकः 25.04.2025**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर कैम्प मेड़ता द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की गयी है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थिनी ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से क्रय की है व उसके आधार पर प्रार्थिनी के नाम नामान्तरकरण का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज हुआ है व प्रार्थिनी शांतिपूर्वक वादग्रस्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। सभी तथ्यों की जानकारी रेस्पो0 सं0 1 को थी। इसलिए यह उसकी स्वीकृति थी व उस तथ्य की पूर्व से जानकारी होने पर भी कभी ऐतराज नहीं किया लेकिन अब गलत रूप से धारा 144 (1) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके आदेश दिनांक 05–08–2005 प्राप्त किया है जो आदेश अविधिक होने के कारण निगरानी के माध्यम से निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था। प्रतिप्रेषित आदेश में ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये जिससे राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जावें। मात्र यह निर्देश दिया था कि चैनसिंह के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया जाकर जवाब व साक्ष्य का अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जावें किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रतिप्रेषित आदेश की पालना से बाहर जाकर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/684/2006/जोधपुर**<br>**जतनकंवर बनाम हवाकंवर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

आदेश दिनांक 05–08–2005 पारित कर विधिक भूल कारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 144(1) सी0पी0सी0 के प्रावधानों का निष्कर्ष गलत रूप से निकाल कर प्रार्थिनी के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधिक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि धारा 144(1) सी0पी0सी0 में यह उल्लेखित नहीं है कि दावे के पूर्व की स्थिति पक्षकारों द्वारा वर्तमान समय में वापस लाई जा सकें। इस कारण धारा 144(1) सी0पी0सी0 का गलत रूप से अध्ययन न निष्कर्ष निकालकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि कारित की है। प्रार्थिनी एक सद्भाविक क्रेता है व प्रार्थिनी ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचानामा से खरीद की है जो आज दिन तक प्रभावी है। जब तक बेचाननामा प्रभावी है तब तक प्रार्थिनी को किसी विधि के द्वारा न तो मौके से बेदखल किया जा सकता है एवं न ही राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है।

अतः प्रार्थिनी की निगरानी स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर, बिलाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–08–2005 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–01–2006 निरस्त किया जावें।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144(1) सी0पी0सी0 प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05–08–2005 से सही स्वीकार किया गया है जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–01–2006 से अपीलांट की अपील सारहीन पायी जाने पर सही खारिज की गयी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थिनी की निगरानी खारिज की जावें।

5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा के समक्ष वादी सांवलराम ने राजस्थान

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/684/2006/जोधपुर**<br>**जतनकंवर बनाम हवाकंवर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद आराजी खसरा नं0 90, 93, 101 कुल रकबा 44 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा हुणगांव खुर्द के संबंध में प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर दिनांक 19–12–2003 को वाद स्वीकार कर लिया जिसकी विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–08–2004 से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में पुनः कार्यवाही की गयी जिसमें प्रतिवादीगण/रेस्पो0 हवाकंवर की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144(1) सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–08–2005 पारित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और वादग्रस्त भूमि बाबत् निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–12–2003 के पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में बहाल रखे जाने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत पाये जाने के फलस्वरूप विचाराधीन अपील सारहीन पायी जाने के कारण दिनांक 30–01–2006 को खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–08–2005 को यथावत रखा है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।<br>7– उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है।<br>8– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–01–2006 एवं सहायक कलक्टर, बिलाड़ा द्वारा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/684/2006/जोधपुर**<br>**जतनकंवर बनाम हवाकंवर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पारित निर्णय दिनांक 05–08–2005 यथावत् रखे जाते हैं।<br>9– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>**(गौरव बजाड़)**<br>**सदस्य** | |